

# ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)



जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोज्यता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी हैं और वी.डब्ल्यू.एस.एम. को परस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा समीक्षित महाग्राम प्रदान की जानी हैं।)

1. तैयारी की तारीख: 10/02/2024  
 ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: 10/02/2024  
 वी.डब्ल्यू.एस.एम. को परस्तुत किए जाने की तारीख: 10/2/2024
2. ग्राम का नाम: जिगना  
 ग्राम पंचायत का नाम: जिगना  
 ब्लॉक का नाम: श्री दत्त गंज  
 जिला का नाम: खलराभुपुर  
 राज्य का नाम: उ.प्र.  
 ग्राम जनगणना कोड: \_\_\_\_\_

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

1. ग्राम पंचायत संकल्प
3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : 0.2 (संख्या) मवेशी कुओं को और 0.2 (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थलों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् 10 घंटे निर्धारित गुणवत्ता वाले एच.पी.सी.टी. जल की आपूर्ति वर्ष 2024 तक ~~100%~~ ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना।  
 हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंत:ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकासी का सम्भाल करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने गीठे पानी को बचाएंगे।  
 यह संकल्प लिया जाता है कि पूंजी लागत व 10% प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

\* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.टी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

- II. ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोज्यता समूह आदि का विवरण
4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी? (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): पंच जल एवं स्वच्छता समिति  
 समिति को क्या कहा जाता है: पंच जल एवं स्वच्छता समिति जिगना  
 अध्यक्ष का नाम: गोकुल आर्य  
 लिंग: \_\_\_\_\_  
 आयु: 60 वर्ष

सदस्य का नाम \_\_\_\_\_ लिंग \_\_\_\_\_ आयु \_\_\_\_\_

T.N  
PC

जिगना  
गोकुल आर्य



III. सामान्य विवरण

6.

2011 की जनगणना के अनुसार		वर्तमान पंचायत आगनवाड़ी रिकॉर्ड के अनुसार	
जनसंख्या	1210	वर्तमान जनसंख्या	1331
परिवारों की संख्या	174	परिवारों की संख्या	191.4
महिलाओं की संख्या	570	महिलाओं की संख्या	627
पुरुषों की संख्या	640	पुरुषों की संख्या	704
बच्चों की संख्या	193	बच्चों की संख्या	212
एफ.एच.टी.सी. की संख्या		एफ.एच.टी.सी. की संख्या	

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि) \_\_\_\_\_ किलोमीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण  
-वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): \_\_\_\_\_ किलोमीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): \_\_\_\_\_

9. कृषि फसल पैटर्न: \_\_\_\_\_

पशु फसल	खरीफ	रबी
गन्ना		✓
धान	✓	
मक्का	✓	
कपास		
गेहूँ		✓
अन्य		

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): \_\_\_\_\_

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): \_\_\_\_\_

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं)  
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)
13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं)  
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

14.

क्र. सं.	सार्वजनिक संस्था का नाम	क्या एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	क्या वर्षा जल संचयन संरचना उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	सोखता मड़ों की उपलब्धता? (हाँ/नहीं)
1.	स्कूल 02	नहीं	हाँ	हाँ
2.	आगनवाड़ी 02			
3.	स्वास्थ्य केन्द्र 01	नहीं	हाँ	
4.	ग्राम पंचायत भवन 01			
5.	अन्य	हाँ	हाँ	हाँ

जिम्मा

जिम्मा



TN  
PC

**पानी की कुल दैनिक आवश्यकता**

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर 295.39 के एल.टी.  
 भवितव्य के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता 341 के एल.टी.  
 नववर्षी कृषि की आवश्यक संख्या: \_\_\_\_\_  
 नए/वर्धनी धरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर 348.56 के एल.टी.  
 अंतिम धरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर 389.91 के एल.टी.

**पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त**

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त सूखा/भूकंप/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न  
 पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति: नहीं क्योंकि सुरक्षित जल सप्लायर। मरु इलाक़ा जल दुर्लभ
17. आपदाकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टर्कियों, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति।
18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त
19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: बुखार, डायरिया, पीलिया, किडनी, गडिमा।

**पानी की गुणवत्ता**

20. फील्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तरीक़े: \_\_\_\_\_
21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तरीक़े: \_\_\_\_\_
22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): \_\_\_\_\_

मापदंड	तरीक़ा	परिणाम
मटनी	दृश्य तुलना	1.86
पीएच	पट्टी रंग तुलना	7.84
पूर्ण लवणता	टिट्रिमेट्रिक विधि	276
पूर्ण क्षारीयता	टिट्रिमेट्रिक विधि	3.29
क्लोराइड	टिट्रिमेट्रिक विधि	17.02
अमोनिया	दृश्य रंग तुलना	
फ़स्फेट	दृश्य रंग तुलना	
अवशिष्ट क्लोरीन	दृश्य रंग तुलना	
आयरन	दृश्य रंग तुलना	
नाइट्रेट	दृश्य रंग तुलना	
फ्लोराइड	दृश्य रंग तुलना	
आर्सेनिक (हॉटस्पॉट में)	दृश्य रंग तुलना	

**कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान**

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं \_\_\_\_\_

अवस्थिति का नाम \_\_\_\_\_ घरी की संख्या \_\_\_\_\_ आबादी \_\_\_\_\_

*(Handwritten Signature)*  
 जिला \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



T.N  
P.C

स्रोत स्थापित

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरोवेल रिचार्ज संभव है? (हाँ/नहीं)
25. स्रोत में उन मौजूदा जल स्रोतों की सूची जिसका कार्यालय/मरम्मत जारी किया जाना आवश्यक है

26. उपर्युक्त स्रोत जल (जल आपूर्ति का 65%) 193-60 के एन.टी. अलग-अलग सोखता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: 12  
 उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्ढों की आवश्यकता है: 20  
 आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्ढों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 क्या अपशिष्ट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं) नहीं  
 यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: नहीं  
 यदि नहीं, तो स्रोत जल प्रबंधन के बॉन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए? \_\_\_\_\_

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एक एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:
- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.इन्फ्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
  - पूर्ण हो चुके आर.इन्फ्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
  - निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जलस्प्रिंग वाट/स्थानीय या घसतली जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.
  - शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.
  - वाटर सिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
  - मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.इन्फ्यू.एस. जो एकान्त/अदिवासी बस्तियों में स्थित हैं
28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: मौजूदा जल कार्य से तकनीकी-आर्थिक और सामूहिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: की चर्चा ग्राम पंचायत में की गई  
 इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: ग्राम पंचायत जिला  
 वह तरीका, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.इन्फ्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी \_\_\_\_\_  
 योजना की लागत: \_\_\_\_\_ भारत सरकार का हिस्सा: 50% राज्य का हिस्सा: 50%  
 समुदाय का हिस्सा: 10% व्यक्तिगत घरेलू उपकरण: \_\_\_\_\_  
 व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क: \_\_\_\_\_  
 प्रयोज्य शुल्क: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क कोई दूरस्थ बसावर हो तो, अभिनिर्धारित  
 पी.इन्फ्यू.एस.: \_\_\_\_\_

VI. सेल-जोब

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि क्रिया सेल-जोब संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29. योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित राज्य
घरेलूक किल आयोजन	ग्राम पंचायत	वे-वाटर मैनेजमेंट ड्रेनेज सिस्टम आदि।	हाँ
स्वच्छ भारत मिशन - राष्ट्रीय (एन.डी.एम.-जी)	पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल संचित मंत्रालय	वे-वाटर मैनेजमेंट-सौख्य गड्ढे (व्यक्तिगत / सामुदायिक), अपशिष्ट तालाब आदि।	हाँ
एन.टी.एम.आर.डी.डी.एस.	राष्ट्रीय विकास समारण	प्रकृतिक सहायक प्रकल्प (एन.आर.एम.) घटक के तहत सभी जल सहायक गतिविधियाँ	हाँ

जिला

जिला



T.N  
P.C



योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	समाविष्ट गतिविधियों की सूची की जा सकती है	प्रस्तावित तिथि
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन और डब्ल्यू.एम.पी. नृविज्ञान सुधारण, जल निकासी का नियंत्रण वृद्धि आदि।	नहीं
जल सहायी की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और सेवा संरक्षण विभाग	बड़े जल सहायी का जीर्णोद्धार	✓
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड में संबंधित कार्य	नहीं
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सुक्रम-सिंचाई का प्राथम्य, एकत्रीकृत से जल की निकासी को बना करने के लिए कमीकरण, कम परिधि/विधि की तरफ का फुल-स्केल, वाटरशेड विकास, आदि।	✓
क्षतिपूर्क कमीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		नहीं
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मजदूर संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि।	✓
राज्य शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्राथम्य	नहीं
जाबकली जिला कार्यक्रम	नैतिक आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकपूर्ण विधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियों	✓
जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.ए.फ.)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियों	नहीं
एम.पी.एल.ए.डी.	सांविधिक और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.ओ.ए.ए.पी.आई.)	अंतर-याम अवसरधन	✓
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अंतर-याम अवसरधन	✓
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एम.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतर-याम अवसरधन	✓
टजटला/प्रायो.जक			

  
 जिला  
 जिला प्रशासन  
 जिला कार्यालय





T.N  
PC

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

पी एच डे.डी/ आर.एच.एच.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

आर.एच.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो) Ranjit Kishan Yadav (B)

### संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् पी.एच.एच.एस.सी./पानी समिति/प्रयोगकर्ता समूह, अदि का अध्यक्ष:

पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर: महेश देव गुप्ता - मो. नं. 9369657991

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1.

2.

3.

4.

5.

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर: वल्लभ सिंह - पिता - शिवपाल सिंह - 8052923928

① राजकुमारी - पत्नी - राजकुमार - मो. नं. 740804387

② मन्जू सिंह - पत्नी - रमेश सिंह - मो. नं. 9319152088

③ साक्षी सिंह - पत्नी - विवेक सिंह - मो. नं. 9839809246

④ मन्जू सिंह - पत्नी - सन्तोश सिंह - मो. नं. 9839809246

⑤ सुशील देवी - पत्नी - अमिता सिंह - मो. नं. 7310105634